कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 10/2020-21/

दिनांक : /02/2021

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, चम्बा,

जनपद – टिहरी ।

विषय : नगर पालिका परिषद, चम्बा, जनपद- टिहरी के वर्ष 04/2016 से 03/2020 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग II (अ) में **शून्य** प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में **09** प्रस्तर एवं STAN में **शून्य** प्रस्तर (पृष्ठ संख्या 01 से 19 तक) हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1. प्रतिवेदन की प्रति।

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप।

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

सं. :AMG-II/शहरी विकास/प्रतिवेदन संख्या- 10/2020-21/ दिनांक: /02/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून।

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (ऑडिट निदेशालय) द्वितीय तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005 ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-II

भाग-I

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सतेन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री हिमांशु शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.01.2021 से 16.01.2021 तक श्री सुशील बहुगुणा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी जिसमें 04/2016 से 03/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **12 वर्ग किमी**

(ii) जनसंख्या: **10457 (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **09**

(iv) आयोजित बैठकों की संख्या: **12**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **04 उपसमितियाँ तथा 01 बैठक**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **11**

(vii) इकाई की संपत्तियाँ: **दुकाने, भवन, पार्किंग इत्यादि**

(viii) इकाई के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक सुरक्षा:--

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:--

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:--

(द) लाभार्थियों की संख्या:--

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य : : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद - चम्बा का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	1560000	1560000	1560000	0
2	राज्य वित्त आयोग	6879810	9349000	16228810	16022089	206721
3	सांसद निधि	0	150000	150000	150000	0
4	विधायक निधि	520330	0	520330	356329	164001
5	दैवीय आपदा	96567	0	96567	96567	0
6	बी.आर.जी.एफ.	5447	0	5447	0	5447
7	अवस्थापना निधि	26858607	0	26858607	9486122	17372485
	कुल योग	**34360761**	**11059000**	**45419761**	**27671107**	**17748654**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद - चम्बा का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	2865000	2865000	1383000	1482000
2	राज्य वित्त आयोग	206721	9349000	9555721	8627839	927882
3	सांसद निधि	0	75000	75000	0	75000
4	विधायक निधि	164001	37500	201501	32269	169232
5	बी.आर.जी.एफ.	5447	0	5447	0	5447
6	अवस्थापना निधि	17372485	8962000	26334485	18809172	7525313
	कुल योग	**17748654**	**21288500**	**39037154**	**28852280**	**10184874**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद - चम्बा का वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	1482000	7145000	8627000	3768973	4858027
2	राज्य वित्त आयोग	927882	20629545	21557427	21033273	524154
3	सांसद निधि	75000	275000	350000	125000	225000
4	विधायक निधि	169232	99087	268319	268319	0
5	बी.आर.जी.एफ.	5447	0	5447	5447	0
6	चारधाम यात्रा	0	100000	100000	100000	0
7	स्व.भा. मिशन	0	164663	164663	114663	50000
8	प्रधानमन्त्री आवास योजना	0	22500	22500	0	22500
9	अवस्थापना निधि	7525313	0	7525313	5205842	2319471
	कुल योग	**10184874**	**28435795**	**38620669**	**30621517**	**7999152**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद - चम्बा का वर्ष 2018-19 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	4858027	4902000	9760027	5765906	3994121
2	राज्य वित्त आयोग	524154	24995000	25519154	17023227	8495927
3	सांसद निधि	225000	150000	375000	225000	150000
4	प्रधानमन्त्री आवास योजना	22500	52500	75000	0	75000
5	जिला पंचायत निधि	0	252181	252181	0	252181
6	चारधाम यात्रा	0	100000	100000	100000	0
	स्व.भा. मिशन	50000	130000	180000	0	180000
7	अवस्थापना निधि	2319471	0	2319471	561798	1757673
कुल योग		**7999152**	**30581681**	**38580833**	**23675931**	**14904902**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद - चम्बा का वर्ष 2019-20 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	3994121	8700000	12694121	3230722	9463399
2	राज्य वित्त आयोग	8495927	24959000	33454927	30211669	3243258
3	सांसद निधि	150000	74860	224860	68708	156152
4	विधायक निधि	0	1462500	1462500	723361	739139
5	प्रधानमन्त्री आवास योजना	75000	0	75000	0	75000
6	जिला पंचायत निधि	252181	0	252181	0	252181
7	चारधाम यात्रा	0	200000	200000	200000	0
8	स्व.भा. मिशन	180000	85938	265938	0	265938
9	अवस्थापना निधि	1757673	0	1757673	1757673	0
कुल योग		**14904902**	**35482298**	**50387200**	**36192133**	**14195067**

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद - चम्बा का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण						
वर्ष	**योजना का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	2865000	2865000	1383000	1482000
2017-18	केन्द्रीय वित्त आयोग	1482000	7145000	8627000	3768973	4858027
2018-19	केन्द्रीय वित्त आयोग	4858027	4902000	9760027	5765906	3994121
2019-20	केन्द्रीय वित्त आयोग	3994121	8700000	12694121	3230722	9463399
2016-17	सांसद निधि	0	75000	75000	0	75000
2017-18	सांसद निधि	75000	275000	350000	125000	225000
2018-19	सांसद निधि	225000	150000	375000	225000	150000
2019-20	सांसद निधि	150000	74860	224860	68708	156152
2016-17	बी.आर.जी.एफ.	5447	0	5447	0	5447
2017-18	बी.आर.जी.एफ.	5447	0	5447	5447	0
2018-19	बी.आर.जी.एफ.	0	0	0	0	0
2019-20	बी.आर.जी.एफ.	0	0	0	0	0
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2017-18	स्वच्छ भारत मिशन	0	164663	164663	114663	50000
2018-19	स्वच्छ भारत मिशन	50000	130000	180000	0	180000
2019-20	स्वच्छ भारत मिशन	180000	85938	265938	0	265938
2016-17	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	0	0	0	0
2017-18	प्रधानमंत्री आवास योजना	0	22500	22500	0	22500
2018-19	प्रधानमंत्री आवास योजना	22500	52500	75000	0	75000
2019-20	प्रधानमंत्री आवास योजना	75000	0	75000	0	75000

भाग II- (ब)

प्रस्तर 01: नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की वसूली न किये जाने के कारण राजस्व की हानि।

उत्तराखंड शासन सूचना प्रोढ़ोगिकी विभाग ने अपने पत्रांक संख्या 476/XXXIV/2018-17/सू0प्रौ0/2018 दिनांक 26.11.2018 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में दूरसंचार कंपनियों द्वारा Uttarakhand Right of Way, 2018 को प्रख्यापित किया गया है। Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 7 के अनुसार नगर निगम को अपने क्षेत्रांतर्गत OpticalFibreCable बिछाने तथा मोबाईल टावर स्थापित करने हेतु किए गये आवेदन पर आवेदनकर्ता को लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।

Uttarakhand Right of Way, 2018 के प्रस्तर 11.3 के अनुसार, "Every application under guidelines 11.1 shall be accompanied with a one – time non-refundable fee of INR 1,000 to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work. In case of Government land, annual lease rent for the space allocated for installation of Mobile tower shall be 10% of the market value of the land on 'per square meter basis'. Market value of the land will be fixed by District collector, which shall be revised in every 5 (five) years. Provided that the Lease rental per month for Mobile Tower shall not exceed ₹ 10,000 per month.

Further, an amount of ₹ 5000/ (Rupees Five Thousand only) per tower shall be collected from licensees/infrastructure provides as 'one time' permission fee besides lease rent. In the event of sharing the towers by other licensees/infrastructure Providers, each one of the licenses shall pay ₹ 5000/ (Rupees Five Thousand only) as permission fees additionally. The fee so collected shall be remitted to the appropriate Account Head by the Head of office".

कार्यालय नगर पालिका परिषद, चम्बा जनपद - टिहरी के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई को अपने क्षेत्रांतर्गत मोबाइल टावरों की संख्या ज्ञात नहीं थी और न ही इकाई द्वारा मोबाईल टावरों कि संख्या ज्ञात करने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया गया था। इकाई द्वारा Optical Fibre Cable बिछाने तथा रोड कटिंग हेतु आतिथि तक कोई अनुमति ठेकेदारों को प्रदान नहीं की गई गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि मोबाईल टावरों कि संख्या ज्ञात करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है न ही कोई आवेदन आया है साथ ही यह भी बताया है कि नगर पालिका कि भूमि पर कोई मोबाईल टावर नहीं है तथा इस संबंध में कोई नियमावली/उपविधि नहीं बनाई गयी है।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मोबाईल टावरों कि सख्या ज्ञात कर अपनी आय बढ़ाने हेतु इकाई द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये थे। नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत मोबाइल टावरों से Administrative Fee तथा One-time Permission Fee की कोई भी वसूली न किये जाने के कारण इकाई को राजस्व की हानि हो रही थी जिसकी वसूली की जाना अपेक्षित है।

अत: नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत स्थापित मोबाईल टावरों से किसी भी प्रकार के चार्जेज न लिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II - (ब)

प्रस्तर 02: नगर पालिका परिक्षेत्र में स्थापित विधुत देयकों के भुगतान में विलम्ब के कारण देयकों के साथ Surcharge for Late Payment की धनराशि ₹ 0.28 लाख अनावश्यक विलम्ब।

नगर पालिका परिषद ,चम्बा जनपद टिहरी के अंतर्गत विभिन्न स्थानो तथा सडको एवं गलियों मे स्थापित स्ट्रीट लाइटो के लिये स्थापित विधुत संयोजन का रख रखाव एवं उनके विधुत देयकों का भुगतान किया जाता है। विधुत देयकों के भुगतान संबंधी अभिलेखो की जांच में पाया गया कि भुगतान मे अनावश्यक विलंब किया जा रहा है जिस कारण देयकों के साथ Surcharge for late payment सम्मलित कर देयक प्रस्तुत किया जाता है, तदनुसार कार्यालय नगर पालिका परिषद, चम्बा द्वारा विधुत देयकों का भुगतान किया जाना था। जनवरी 2020 तक स्ट्रीट लाइटो के देयक के साथ सम्मलितSurcharge for late payment के कुल धनराशि ₹ 3364083/- जिसमें ₹ 27981/ Surcharge for late payment लगाया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्ट्रीट लाइट के विधुत संयोजनों के सापेक्ष विधुत विभाग के सहायक अभियंता,विधुत वितरण खण्ड टिहरी ने भुगतान हेतु प्रस्तुत किया था, परंतु कार्यालय द्वारा इन देयकों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया गया था। जिस कारण से ₹ 3199040/ के सापेक्ष धनराशि ₹ 27981/ का Surcharge for late paymentआरोपित किया गया। यदि विधुत देयको का भुगतान नियमित रूप से किया गया होता तो इस प्रकार के अनियमित भुगतान से बचा जा सकता था और इस धनराशि को अन्य विकास कार्यो पर व्यय किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण जमा नहीं किया गया तथा बकाया राशि पूर्व की है वर्ष 2018-19 में 2.00 लाख ₹ का भुगतान किया गया था। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आतिथि तक विधुत बीजक का भुगतान नहीं किया गया जब तक विधुत देयकों का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक Surcharge for late payment प्रत्येक माह बढता जाएगा।

अत: नगर पालिका परिक्षेत्र में स्थापित विधुत संयोजन के देयकों के भुगतान न किए जाने के कारण Surcharge for late payment की धनराशि ₹ 0.28 लाख का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 3: विधायक निधि योजना के अंतर्गत सी.सी.टी.वी. कैमरों की अधिप्राप्ति में नियमों का उलंघन किया जाना तथा कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में ठेकेदार से ₹ 37,500/- की वसूली न किया जाना ।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार :-

नियम 3(4)- अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए , अधिप्राप्त की जाने वाली सामाग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से सूचित की जानी चाहिए जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणो को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गयी विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भंडारण लागत में अनावश्यक वृद्धि न हो। **नियम 17-कार्यपूर्ति प्रतिभूति** – (1) संविदा के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविददाता, जिसके पक्ष में संविदा दी गयी हो, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) ली जाएगी। कार्यपूर्ति धरोहर प्रत्येक सफल निविदादाता से, उनके पंजीकरण की प्रास्थिति आदि पर ध्यान दिये बगैर, ली जाएगी। अनुबंध में निहित धनराशि के मूल्य को दृष्टि में रखते हुए कार्यपूर्ति प्रतिभूति संविदा के मूल्य की 5 से 10 प्रतिशत होनी चाहिए।

नगर पालिका परिषद चम्बा के विधायक निधि से सी.सी.टी.वी. स्थापना कार्य से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आए:-

(1) अभिलेखों में मांग का निर्धारण करने हेतु किए गए किसी पत्राचार या अध्यन (Case Study) के अभिलेख नहीं पाये गए जिससे स्पष्ट नहीं है कि मांग का निर्धारण किस प्रकार किया गया था। मांग का निर्धारण सही प्रकार से न करने से अधिप्राप्ति पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े :-

(क) इकाई द्वारा 02 PTZ (Pan Tilt Zoom) कैमरों को बिना कंट्रोल मेकेनिज़्म के खरीद लिया गया जिसके कारण उनका तकनीकी लाभ सामान्य आई.पी कैमरे से अधिक नहीं था जबकी आई.पी कैमरा (₹48,400/- प्रति कैमरा) पी.टी.ज़ेड. कैमरे (₹24,490 प्रति कैमरा) की तुलना में मूल्य में लगभग आधा है ।

(ख) इकाई द्वारा 32 चेनल का NVR (network video recorder) खरीदा गया जबकी 09 कैमरों हेतु 16 चैनल NVR ही प्रयाप्त था।

(ग) मांग का निर्धारण न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं था कि कितने समय की रिकॉर्डिंग व किस फार्मेट में की जानी थी । जिससे स्टोरेज हेतु हार्ड डिस्क का मांग निर्धारण संदेहास्पस्द था ।

(2) संबन्धित वेंडर ने अपनी कोटेशन में 03 साल (02+01) की वारंटी की घोषणा की थी परंतु अनुबंध (शर्त संख्या 19) के अनुसार केवल एक वर्ष की वारंटी ही ली गयी । इससे भविष्य में (अगले 02 सालों) होने वाले किसी भी व्यय को इकाई द्वारा वहन किया जाएगा जिससे अनुबंध में आवश्यक शर्त डालकर बचा जा सकता था ।

(3) इकाई द्वारा संबन्धित वेंडर से कार्यपूर्ति प्रतिभूति (परफॉर्मेंस गारंटी) के रूप में कम से कम निविदा राशि का 5 प्रतिशत अर्थात ₹ 37,500/- (7,50,000 X 5/100) की धनराशि लेनी थी जो नहीं ली गयी । जिससे वारंटी अवधि में किसी नुकसान की भरपाई की जा सके ।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों तथा आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया गया कि :-

(1) मांग का निर्धारण माननीय विधायक जी एवं पुलिस थाना चम्बा के अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से किया गया था ।

(2) कैमरों की वारंटी 01 वर्ष तथा 02 वर्ष अनुरक्षण हेतु वारंटी है।

(3) संबन्धित वेंडर से अवशेष कार्यपूर्ति प्रतिभूति ले ली जाएगी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि न तो मांग निर्धारण न माननीय विधायक जी तथा न ही पुलिस थाना चंबा के अधिकारियों के साथ किसी बैठक के कार्यवृत्त अभिलेखों में पाये गए। अनुबंध में अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त 02 वर्ष की वारंटी का उल्लेख नहीं किया गया था तथा कार्यपूर्ति प्रतिभूति सफल निविददाता से पहले ही ले ली जानी चाहिए थी।

अतः विधायक निधि योजना के अंतर्गत सी.सी.टी.वी. कैमरों की अधिप्राप्ति में नियमों का उलंघन किए जाने तथा कार्यपूर्ति प्रतिभूति(Performance Guarantee) के रूप में ठेकेदार से ₹ 37,500/- की वसूली न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 4: नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योजना का उचित क्रियान्वयन न किया जाना तथा नियोक्ता के अंशदान के रूप ₹ 1,09,770/-(₹ 18295/- X 6) का अंशदान कम किया जाना ।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार **जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के विषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो।** उत्तराखंड शासन के पत्रांक 169/42/XXVII(10)/2016/ 2019 दिनांक 12 जून 2019 के द्वारा यह व्यवस्था दी गयी कि **01 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/ निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जाएगा ।**

इकाई के नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई के निम्नलिखित कर्मचारी उपरोक्त आदेशों के अनुसार नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित थे जिनको लेखापरीक्षा तिथि (01/2021) तक PRAN आवंटित नहीं हुए थे :-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
01	कृष्ण प्रसाद सेमवाल	कनिष्ठ लिपिक
02	राजवीर सिंह पँवार	सफाई निरीक्षक
03	सीमा	अनुसेविका
04	शर्मा लाल	पर्यावरण मित्र
05	रूप चंद	पर्यावरण मित्र
06	बीरेश	पर्यावरण मित्र
07	बिजेन्द्र	पर्यावरण मित्र
08	विजय पाल	पर्यावरण मित्र
09	सविता	पर्यावरण मित्र

उपरोक्त कर्मचारियों का पेंशन अंशदान व सेवायोजक का अंशदान काट कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बचत खातों में जमा किया जा रहा था जिनमें मिलने वाला ब्याज सामान्य भविष्य निधि पर देय न्यूनतम ब्याज से काफी कम था । इसके कारण कर्मचारियों को आर्थिक हानि हो रही थी ।

आगे जांच में पाया गया कि क्रम संख्या 04 से 09 तक के कर्मचारियों के अंशदान के सापेक्ष 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता का अंशदान 14 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत ही दिया जा रहा था जिससे कर्मचारियों को लेखापरीक्षा तिथि (01/2020) तक ₹ 1,09,770/-(₹ 18295/- X 6) कम नियोक्ता के अंशदान के रूप में प्राप्त हुए (विवरण संलग्न)।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि कर्मचारियों को PRAN आवंटन हेतु कार्यवाही की जाएगी। अधिक ब्याज हेतु बैंक से वार्ता/ पत्राचार किया जाएगा तथा कम अंशदान के संबंध में जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक 'क'

प्रत्येक पर्यावरण मित्रों के एनपीएस खाते में कम भुगतान किए गए नियोक्ता अंशदान की गणना

माह	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	कुल वेतन	नियोक्ता का अंशदान जो किया जाना था (@14%)	नियोक्ता का अंशदान जो किया गया (@10%)	अंतर	
Apr-19	18500	2220	20720	2901	2072	829	DA 12%
May-19	18500	2220	20720	2901	2072	829	
Jun-19	18500	2220	20720	2901	2072	829	
Jul-19	18500	2220	20720	2901	2072	829	
Aug-19	18500	2220	20720	2901	2072	829	
Sep-19	18500	2220	20720	2901	2072	829	
Oct-19	18500	3145	21645	3030	2164	866	DA 17%
Nov-19	18500	3145	21645	3030	2164	866	
Dec-19	18500	3145	21645	3030	2164	866	
Jan-20	19100	3247	22347	3129	2235	894	
Feb-20	19100	3247	22347	3129	2235	894	
Mar-20	19100	3247	22347	3129	2235	894	
Apr-20	19100	3247	22347	3129	2235	894	
May-20	19100	3247	22347	3129	2235	894	
Jun-20	19100	3247	22347	3129	2235	894	
Jul-20	19100	3247	22347	3129	2235	894	
Aug-20	19100	3247	22347	3129	2235	894	
Sep-20	19100	3247	22347	3129	2235	894	
Oct-20	19100	3247	22347	3129	2235	894	
Nov-20	19100	3247	22347	3129	2235	894	
Dec-20	19100	3247	22347	3129	2235	894	
					कुल लंबित अंशदान	18295	

भाग II - (ब)

प्रस्तर 05: निर्माण कार्यों से काटी गयी रायल्टी की 25 प्रतिशत धनराशि ₹ 48061/-को जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा न किया जाना ।

उत्तराखंड शासन औधोगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1621/VII-I/2017/8ख/16 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गई थी। यह नियमावली दिनांक 12.01.2015 से प्रवृत हुई समझी जायेगी।

उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2017 के नियम 10(5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बाजरी पर खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा।

नगर पालिका परिषद, चम्बा जनपद- टिहरी के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कराये गए निर्माण कार्यों के लेखा – अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष कोषागार विवरणी/चालानों के अनुसार धनराशि ₹ 192242/- की रायल्टी की कटौती कर कोषागार के माध्यम से राजकोष में जमा कराई गई है। जिसका विवरण निम्न है: **(` में)**

क्रम स0	**चालान की तारीख**	**काटी गयी रॉयल्टी की धनराशि**	**25% की धनराशि जो काटी जानी थी**
1.	04.08.2018	163264	40816
2.	04.08.2018	17256	4314
3.	04.08.2018	3448	862
4.	01.01.2019	8274	2069
	कुल योग	**192242**	**48061**

आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त रायल्टी के सापेक्ष जिला न्यास निधि अंशदान हेतु रायल्टी की 25 प्रतिशत की धनराशि **₹ 48061/-**को निर्माण कार्यों के सापेक्ष संबन्धित ठेकेदार से कटौती करके जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा कराई जानी थी। परंतु लेखापरीक्षा अवधि में उक्त मद में न तो कोई धनराशि की कटौती की गई और न ही धनराशि सबंधित राजकोष में जमा कराई थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने परइकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया कि रॉयल्टी का 25% कटौती के संबंध में कार्यवाही की जायेगी। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर अमान्य है क्योंकि यह आदेश 17.11.2017 से है जोकि 12.01.2015 प्रवृत माना गया था।

अत: इकाई द्वारा **₹ 48061/-**की धनराशि रायल्टी की 25 प्रतिशत नही काटी जाने का प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II - (ब)

प्रस्तर 06 : विभिन्न आय मदों के अंतर्गतधनराशि ₹ 28.96 लाख के करो की लंबित वसूलियाँ।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम – 1916 (जो उत्तराखंड में भी लागू है) के अध्याय – 5 की धारा 128(1) के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर आरोपित कर उसे वसूल करेगी, ताकि निकाय की आय में वृद्धि हो सके, एवं प्राप्त धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सकें। शासन के पत्रांक -760/श0वि0नि0 -1213/ आधी0नि0-2008 दिनांक 17.07.2014 के द्वारा निकायों को निर्देशित किया गया था कि **निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाये ।**

नगर पालिका परिषद, चम्बा जनपद-टिहरी के गृहकर तथा भवन/दुकान किराये से संबंधी अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 में **संलग्नक - अ** के अनुसार गृहकर एवं भवन/दुकान किराये मद से वसूली की गई। **संलग्नक – अ** से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर उक्त मदों की कुल बकाया धनराशि ₹ 28.96 लाख की वसूली की जानी अवशेष है। आगे जांच में यह भी पाया कि इकाई द्वारा गृहकर मद में 18 % प्रतिशत से 02 % प्रतिशत, तथा भवन/दुकान किराया मद में 52 % प्रतिशत से 17 % प्रतिशत की वसूली की गई थी

उपरोक्त के अतिरिक्त गृहकर मांग एवं वसूली संबंधी उपलब्ध करायी सूचना की जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में वार्षिक मांग की पूर्व वर्ष की तुलना में कोई बदोतरी दर्ज नहीं की गयी जबकि वसूली गत वर्ष की भांति बहुत कम परिलक्षित हो रही है। इसी प्रकार से भवनों/दुकानों से मांग एवं वसूली के विवरण से ज्ञात होता है कि वार्षिक मांग में वर्ष 2019-20 में पूर्व वर्ष की तुलना में थोड़ी बदोत्तरी दर्ज की गयी है। उक्त अवधि में पालिका की संपातियों में कोई संतोष जनक वृद्धि नहीं की गयी है अथवा किराया की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है ।

आगे यह भी जांच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा तहबाजरी के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के अलावा विगत तीन वर्षों में मांग से अधिक वसूली की जा रही है, इससे प्रतीत होता है कि वार्षिक मांग का सही से आंकलन नहीं किया गया है जिस कारण से निगम द्वारा तहबाजरी में अधिक वसूली की जा रही है, अगर आंकलन सही से किया गया होता तो इससे भी अधिक आय हो सकती थी। जिस कारण पालिका को नुकसान होने से मना नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों कि पुष्टि करते हुए इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि गृहकर का विरोध है शत प्रतिशत वसूली कर ली जायेगी, लंबित वसूली हेतु लगातार उपाय किये जा रहे है, आगे यह भी बताया है कि किराये कि दुकानों पर अनुबंध हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है तथा तहबजारी कि मांग का निर्धारण नहीं किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि वसूली का प्रतिशत अत्यधिक कम है जिस कारण पालिका की में बहुत कम वृद्धि हो रही थी।

अत: इकाई द्वारा विभिन्न आय मदों के अंतर्गत **₹ 28.96 लाख** के करो की लंबित वसूलियों का प्रकरण उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक 'अ'

नगर पालिका परिषद, चम्बा जनपद – टिहरी के अंतर्गत वसूले जाने वाले गृहकर का विवरण

धनराशि (रु. में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वार्षिक मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
2015-16	--	--	--	--	--
2016-17	--	582960	582960	11280 (2%)	571680
2017-18	571680	582960	1154640	79320(7%)	1075320
2018-19	1075320	582960	1658280	297982(18%)	1360298
2019-20	1360298	613431	1973729	178770 (7%)	1794559

नगर पालिका परिषद, चम्बा जनपद – टिहरी की परिसंपतियों (भवनों/दुकानों से किराये की वसूली का विवरण)

धनराशि (रु0 में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वार्षिक मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
2015-16	474233	320740	794973	139037(17%)	655936
2016-17	655936	533096	1189032	284055(24%)	904977
2017-18	904977	854754	1759731	509251(29%)	1250480
2018-19	1250480	908070	2158550	818136(32%)	1340414
2019-20	1340414	944532	2284946	1183867(52%)	1101079

नगर पालिका परिषद, चम्बा जनपद – टिहरी के अंतर्गत वसूली जाने वाली तहबजारी का विवरण

(धनराशि (रु0 में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वार्षिक मांग	कुल योग	वसूली	अवशेष
2015-16	--	40000	40000	74740(187%)	--
2016-17	--	40000	40000	67085(168%)	--
2017-18	--	50000	50000	69660(139%)	--
2018-19	--	50000	50000	83350(139%)	--
2019-20	--	50000	50000	54940(92%)	--

भाग II - (ब)

प्रस्तर 07: विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 तक अर्जित ब्याज की धनराशि ₹ 52599/-को संबन्धितलेखाशीर्ष में जमा न किया जाना।

प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 347/वि0आ0नि0दे0 (तृ0वि0आ0)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि पर अर्जित ब्याज का वर्षवार विवरण स्रोतवार उपलब्ध करवाते हुए ब्याज की धनराशि को राजकीय राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। उक्त के पत्र संख्या 16/xxvii (14)/2017 दिनांक 17 अप्रैल 2017 के अनुसार पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लंबे समय तक व्यय न हो पाने के कारण विभिन्न बैंक खातों में जमा रहती है, जिस पर प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र संबन्धित राजकोष के लेखाशीर्ष में जमा करा दिया जाना चाहिए।

नगर पालिका परिषद, चम्बा जनपद –टिहरी द्वारा प्राप्त कराई गयी सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक विभिन्न योजनाओं से ₹ 52599/ ब्याजअर्जित हुआथा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम स0	**योजना का नाम**	**खाता संख्या**	**2019-20 तक अर्जित ब्याज**
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना	3449101005370	4030
2.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	3449101005254	521
3.	स्वच्छ भारत मिशन	3437020210862252	35042
	सांसद निधि/विधायक निधि	3449101005322	13006
		योग	**52599**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि ब्याज की धनराशि को संबन्धित राजकीय राजकोष में जमा करा दिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विगत वर्षो से ब्याज की धनराशि इकाई के विभिन्न खातो में पड़ी है।

अत: विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत अर्जित ब्याज की राशि ₹ 0.53 लाख जमा न कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II - (ब)

प्रस्तर 08 : पालिका द्वारा आबंटित दुकानों के अनुबंध अनुसार पाँच साल में 5% की बदोतरी न किया जाना के कारण धनराशि ₹ 1.06 लाख की हानि।

नगर पालिका परिषद, चम्बा जनपद – टिहरी के अंतर्गत किराये पर आबंटित की गयी दुकानों के अनुबन्धों के अनुसार प्रत्येक पाँच साल में 5 प्रतिशत की बड़ौतरी की जानी थी ताकि पालिका के राजस्व में वृद्धि हो सके परंतु नमूना जांच में पाया गया कि नगर पालिका द्वारा समयावधि के अनुसार अनुबंधों में वृद्धि नहीं की गयी है जिस कारण नगर पालिका के दुकानोंमेविगत 10 से 15 वर्षो से एक समान किराया वसूल किया जा रहा है जिस कारण से पालिका के राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हो पा रही थी जिसका विवरण अंतर सहित निम्न है:

क्रम स0	दुकानदार का नाम श्री/श्रीमति	दुकान/न0 भू -स्थल	आबंटन की तिथि	निर्धारित किराया	प्रत्येक पाँच साल में 5% की बड़ौतरी के कारण अंतर	अंतर का योग
1.	ललित मोहन बहुगुणा	08	03.12.2009	400	03.12.14 20x12x5=1200 03.12.19 21x12x5=1260	2460
2.	सरोजनी देवी	03	25.04.2005	400	25.04.10 20x12x5=1200 25.04.15 21x12x5=1260	2460
3.	विनोद रतुड़ी	01	20.10.2004	500	20.10.09 25x12x5=1500 20.10.14 26x12x5=1560	3060
4.	गबर सिंह		31.12.2007	500	31.1212 25x12x5=1500 31.12.17 26x12x5=1560	3060
5.	सोबन सिंह		15.05.2006	400	15.05.11 20x12x5=1200 15.05.16 21x12x5=1260	2460
6.	अनीश अहमद		13.05.2005	255	13.05.10 13x12x5=780 13.05.15 13x12x5=780	1560
7.	शिव प्रसाद उनियाल		27.05.2007	350	27.05.12 88x12x5=5280 27.05.17 110x12x5=6600	11880
8.	रोशन लाल		28.05.2007	350	28.05.12 88x12x5=5280 28.05.17 110x12x5=6600	11880
9.	मोः रमज़ानी		28.05.2007	350	28.05.12 88x12x5=5280 28.05.17 110x12x5=6600	11880
10.	सोहन लाल		06.08.2009	350	06.08.14 88x12x5=5280	5280
11.	मोः असलम		03.04.2009	350	03.04.14 88x12x5=5280	5280
12.	राम प्रकाश		28.05.2007	350	28.05.12 88x12x5=5280 28.05.17 110x12x5=6600	11880
13.	श्याम लाल		28.05.2007	350	28.05.12 88x12x5=5280 28.05.17 110x12x5=6600	11880
14.	कृष्ण कान्त	04	25.04.2005	400	25.04.10 20x12x5=1200 25.04.15 21x12x5=1260	2460
15.	प्रेम प्रकाश	02	03.12.2009	500	03.12.14 25x12x5=1500 03.12.19 26x12x5=1560	3060
16.	प्रेम प्रकाश तिवारी	03 ऋषिकेश रोड	03.12.2009	500	03.12.14 25x12x5=1500 03.12.19 26x12x5=1560	3060
17.	योगेंद्र कुकरेती	09	06.012010	500	06.01.15 25x12x5=1500	1500

		ऋषिकेश रोड				
18.	यशपाल सिंह नेगी	05 ऋषिकेश रोड	21.12.2009	500	21.12.14 25x12x5=1500 21.12.19 26x12x5=1560	3060
19.	रोशनी सुयाल		26.08.2004	320	26.08.09 16x12x5=960 26.08.14 17x12x5=1020 26.08.19 18x12x5=1080	3060
20.	कृष्णा नन्द		01.10.2001	245	01.10.06 12x12x5=720 01.10.09 13x12x5=780 01.10.14 14x12x5=840	2340
					योग	**103560**

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर पालिका परिषद, चम्बा के बोर्ड प्रस्ताव स0 15 (अन्य) 8 दिनांक 20.12.2018 के द्वारा एक किराया निर्धारण हेतु पाँच सभासदों की समिति गठित की गयी। समिति की दिनांक 23.08.2019 को पालिका के सभागार में बैठक हुई जिसमें सभी किरायेदारों की बकाया राशि को भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु जिला कलैक्टर, टिहरी गढ़वाल को भेज दी गयी। और जिला कलैक्टर, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में वसूली प्रमाण पत्रों में 10 प्रतिशत की दर से राजस्व विभाग का 10 प्रतिशत पालिका स्वम वहन करेगी यह भी कि दुकानो कि जर्जर स्थिति को देखते हुये एवं शासनादेश स0 1055/वी/11-9-97-15/S/54 दिनांक 20 मई 1087 के प्रस्तर 2 में दी गयी व्यवस्था के तहत ही दुकाने आबंटित की गयी है इसलिये भविष्य में किसी भी दशा में उपरोक्त दुकानों का किराये में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। जिसके कारण पालिका के राजस्व में भारी कमी आएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो को स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया कि स्टाफ की कमी के कारण अनुबंध/नवीनीकरण नहीं हो पाया है। अनुपालन किया जायेगा तथा नवीनीकरण किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। इकाई द्वारा दिया गया उत्तर अमान्य है क्योंकि दुकानों की अनुबंधों का नवीनीकरण विगत 10 से 15 सालों से नहीं कराया गया है।

अत: इकाई द्वारा ₹ 1.06 लाख की धनराशि की हानि का प्रकरण समय से अनुबंध एवं नवीनीकरण न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 09: निर्माण कार्यो में प्रयुक्त उपखनिज के सापेक्ष कम दर से रायल्टी की कटौती के कारण शासन को धनराशि ₹ 1.44 लाख की हानि।

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना दिनांक 26 फरवरी 2016 के माध्यम से उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार संशोधन नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमे से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो के लिए पूर्व में निर्धारित दर ₹ 90.00 प्रति घनमीटर से संशोधित कर 194.50 किया गया। पुनः शासन के अधिसूचना दिनांक 19 मई 2016 के माध्यम से इस दर को राज्य के हरिद्वार जनपद एवं अन्य स्थानों के लिए ₹ 154.00 प्रति घनमीटर की गयी।

नगर पालिका परिषद, चम्बा के निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों तथा निर्माण कार्यो के सापेक्ष प्रयुक्त बजरी, बोल्डर एवं अन्य उपखनिज के लिए शासन द्वारा संशोधित दर से कटौती नहीं की जा रही थी। भुगतान की गयी देयकों की जॉच में पाया गया कि उक्त प्रयुक्त उपखनिजों के लिए धनराशि ₹ 90.00 की दर से ही कटौती की जा रही थी। संलग्न विवरण के अनुसार 16 निर्माण कार्यो में धनराशि ₹ 1,44,323 की कम कटौती की गयी। इस प्रकार से शासनादेश के अनुसार रायल्टी की संशोधित दरों से कटौती न किये जाने के कारण शासन को धनराशि ₹ 1.44 लाख की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अवगत कराया कि शासनादेश का संज्ञान न होने के कारण बढी हुई दर से कटौती नहीं की गयी, भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी। यह भी अवगत कराया कि सम्बन्धित ठेकेदार के जमानत जमा धनराशि से इसकी वसूली की जाएगी।

अतः निर्माण कार्यो में प्रयुक्त उपखनिज के सापेक्ष कम दर से रायल्टी की कटौती के कारण शासन को धनराशि ₹ 1.44 लाख की हानि से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

निर्माण कार्यो में प्रयुक्त उपखनिज के सापेक्ष कम दर से रायल्टी कटौती सम्बन्धी विवरण								
क.सं.	निर्माण कार्य का नाम	कार्य माप का दिनांक	उपखनिज sand, grid and stone की मात्रा घनमीटर में	आरोपित दर	धनराशि	अपेक्षित दर	अपेक्षित धनराशि	कम वसूल की गयी धनराशि
1	वार्ड 6 में धरासू रोड में चमोली के मकान के निकट सुरक्षा दीवार निर्माण	09.09.2017	175.43	90	15,789.00	154.00	27,016	11,227
2	पुरानी टिहरी रोड पार्किंग का निर्माण कार्य	25.11.2016	69.48	90	5,443.00	154.00	10,700	5,257
3	पुरानी टिहरी रोड पार्किंग का निर्माण कार्य	16.11.2016	192.18	90	17,296.00	154.00	29,596	12,300
4	पुरानी टिहरी रोड पार्किंग का निर्माण कार्य	27.10.2016	286.63	90	18,597.00	154.00	44,141	25,544
5	गजा रोड पार्किंग का निर्माण कार्य	02.12.2016	135.45	90	12,191.00	154.00	20,859	8,668
6	गजा रोड पार्किंग का निर्माण कार्य	28.10.2016	179.70	90	16,173.00	154.00	27,674	11,501
7	गजा रोड पार्किंग का निर्माण कार्य	02.07.2016	500.00	90	45,000.00	154.00	77,000	32,000
8	वार्ड 7 में मेन रोड से सुभाश उनियाल के घर तक सी सी रोड एवं रेलिंग का निर्माण	02.12.2016	78.14	90	7,393.00	154.00	12,034	4,641
9	वार्ड 1 में कोठियाल के मकान से विजल्वाण के मकान तक रास्ता नाली निर्माण	25.02.2017	82.62	90	7,436.00	154.00	12,723	5,287
10	वार्ड 7 में नकोटी के घन के निकट सी सी खउन्जा का निर्माण	02.12.2016	44.51	90	4,006.00	154.00	6,855	2,849
11	वार्ड 7 में नकोटी के घन के निकट सी सी खउन्जा का निर्माण	26.11.2016	65.19	90	5,867.00	154.00	10,039	4,172
12	कार्यालय के बगल से उपर की ओर रास्ता और रेलिंग निर्माण	15.02.2017	24.00	90	2,160.00	154.00	3,696	1,536
13	वार्ड 4 में ऋशिकेष रोड में गब्बर सिंह स्मारक द्वार नीचे की ओर पी सी सी खडन्जा रास्ता निर्माण कार्य	12.02.2017	99.92	90	8,993.00	154.00	15,388	6,395
14	मसूरी रोड से सुमन कालोनी की ओर जाने वाली रास्ता और नाली निर्माण	25.02.2017	110.28	90	9,925.00	154.00	16,983	7,058
15	गजा मार्ग पर पुलिया के निकट सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य	27.09.2017	51.60	90	4,644.00	154.00	7,946	3,302
16	वाड 2 में राजू भण्डारी के मकान के पास सी सी खडन्जा निर्माण कार्य	04.09.2017	40.42	90	3,638.00	154.00	6,225	2,587
	कुल योग		**2,135.55**	**1,440.00**	**184,551.00**	**2,464.00**	**328,874.70**	**144,323.70**

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद – चम्बा, जनपद – टिहरी गढ़वाल के वर्ष **04/2016** से **03/2020** तक के लेखा/अभिलेखों की संप्रेक्षा **श्री पी.आर. चौहान, स.ले.प.अ.** तथा **श्री राजवेश भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षक** द्वारा **श्री राज बहादुर, व.ले.प.अ.** के पर्यवेक्षण में दिनांक **11.01.2021** से **16.01.2021** संपादित की गयी ।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन सं.-62/2013-14	01 से 06	01	शून्य
स्था.नि./प्रतिवेदन सं.-66/2016-17 दिनांक 28.02.2017	शून्य	प्रस्तर 01 से 08	01 से 03

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--सामान्य --

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद – चम्बा, जनपद – टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			से	**तक**
01.	श्री ए. डी. सोनी	अधिशासी अधिकारी	03.08.2015	16.05.2017
01.	श्री एस.पी. जोशी	अधिशासी अधिकारी	17.05.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद – चम्बा, जनपद – टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दिया जाएगा है कि उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाय ।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी /AMG-II